श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल,
राजस्थान का उद्‌बोधन

नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार

दिनांक 02 सितम्बर,, 2020 **समय : दोपहर 12. 00 बजे**

बंसत महाविद्यालय, राजघाट, वाराणसी

स्थान : राजभवन, जयपुर

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि प्रो.जे.एस. राजपूत जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुरेन्द्र दुबे जी, पदमश्री प्रो. तोमिओ मिजोकामी जी, डॉ. शशिकला त्रिपाठी जी, श्री एस.एन दुबे जी, प्रो. अल्का सिंह जी, भाइयो और बहनो।

नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी से जुडकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस विषय पर वेबिनार करने के लिए आपको बधाई और शुभकामना देता हूं। वर्तमान में यह विषय समसामयिक है।

बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है–अप्प दीपो भव अर्थात प्रकाश, दीपक या गुरू स्वयं बनो। यह बंसत महाविद्यालय, राजघाट के 'लोगो' में भी अंकित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दार्शनिक एवं शिक्षक श्री कृष्णमूर्ति का मानना था कि शिक्षा थोपी नहीं जा सकती, उसे स्वयं सीखना, और अध्ययन करना होता है। गुरू के ज्ञान रूपी चिंगारी को शिक्षार्थी किस तरह रोशनी में परिणत कर सकता है, यह उसके ज्ञान पर आधारित होता है।

शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी के पारस्परिक संबंध हेतु भाषा का महत्व सर्वाधिक है। बहुभाषी देश भारत में सम्पर्क और शिक्षा के लिए दो भाषाओं – स्थानीय भाषा तथा हिंदी या अंग्रेजी की प्रधानता है।

पूर्व में हिंदी को लेकर दक्षिण के राज्यों से कुछ अंसतोष की लहरें उठती रही हैं। हिंदी भाषी राज्यों में भी अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ रहा है। संवैधानिक प्राविधानों के बावजूद वर्तमान में अध्यादेश सीधे हिंदी में तैयार क्यों न हों और न्यायालय द्वारा जनता को, जनता की भाषा में न्याय क्यों न दिया जाये, इन सभी बिंदुओं पर वर्षों से चर्चा होती आई है और अभी भी मंथन करने की आवश्यकता है। अहिन्दी भाषी राज्यों की संतुष्टि हेतु त्रिभाषा सूत्र का प्रस्ताव आया। हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त एक दक्षिण भाषा पढ़ाई जाये और अहिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय और अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी पढ़ाई जाये। शिक्षा के माध्यम का यह मुद्दा विचारणीय है।

इक्कीसवीं सदी के भारत में भारतीय किस भाषा में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, जिससे उनकी आकांक्षाओं के आकाश में कोई अवरोध न हो और उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। यह सत्य है कि आज हम स्थानीय और वैश्विक दोनों हैं। अतः एक तरफ हम अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए अपने सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते हैं, अपनी भाषा से प्रेम करते हैं तो दूसरी तरफ विश्वभर में अपने आर्थिक सामर्थ्य, संस्कृति और प्रतिभा से जगमगाते भी रहना चाहते हैं। किस भाषा में भारत की नई पीढ़ी शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त हो, यह विचारणीय प्रश्न है।

नई शिक्षा नीति में एक से पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए मातृभाषा पर जोर दिया गया है। निःसंदेह इससे बच्चे सहजरूप से ज्ञान संपदा को ग्रहण करेगें, सृजनात्मक होगें और लोक संस्कृति के संवाहक भी बन सकेंगे, इससे भाषा का संवर्धन हो सकेगा और मातृभाषा का मान बढ़ेगा। यह भाषायी रूप में नई पीढ़ी को सशक्त भी करेगी। मातृभाषा के लिए हम सभी गौरवान्वित हैं। बच्चा अपने परिवेश के मुताबिक सहज रूप में बहुत कुछ सीख लेता है। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। किंतु मातृभाषा, राजभाषा और अंग्रेजी की प्रयुक्तियों के परस्पर अंतर्विरोध के जो बिंदु उभरते हैं, उनसे कई शंकाएं पैदा होती हैं।

रोजी–रोटी के मसले पर इंसान प्रवासी या वैश्विक हुआ है, फिर मातृभाषा के बाद वह अंग्रेजी भाषा का चयन करे या हिंदी का? उसका जीवन एक ही प्रदेश में व्यतीत हो, ऐसी अनिवार्यता सुनिश्चित होगी क्या? एक ओर शिक्षा का निजीकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में प्रवेश का प्रावधान और दूसरी तरफ मातृभाषा को शिक्षा माध्यम बनाया जाना, क्या इनमें विरोधाभास नही हैं।

शिक्षा का माध्यम और राष्ट्रीय अस्मिता के लिए भाषा का मुद्दा महत्वपूर्ण है, इनके संदर्भ में हिंदी का वैशिष्ट्य रेखांकित किया जाता है। वस्तुतः हिन्दी कई बोलियों, मातृभाषाओं का समुच्चय है। यह स्वतंत्रता संघर्ष के दरम्यान प्रतिरोध की भाषा बनी, राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुई और स्वतंत्र हुए भारत में इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अंग्रेजी को विकल्प रूप में तब तक के लिए अधिकृत किया गया, जब तक हिन्दी को सर्वस्वीकार्यता प्राप्त नही हो जाती।

वस्तुस्थिति यह है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी को भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति भारतीय प्रतिभा के प्रभुत्व, आयात निर्यात के गुणा भाग, प्रवासी लेखन और फिल्मों के माध्यम से वैश्विक महत्व प्राप्त हुआ है। सूचना क्रांति की सकारात्मक परिणति हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के कम्प्यूटर मैत्री में भी दिखाई देती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जो एक वैश्विक मंच है। वहां उठाए गये मुद्दों की गूंज अनुगूंज सर्वत्र सुनाई देती है। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, नागपुर में 1975 में मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिव सागर रामगुलाम ने हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रतिपादित किया। सन् 2006 के बाद से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी दिवस मनाया जाता है। दुनिया के तमाम देशों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है।

जर्मनी के स्वतन्त्र होने के पश्चात बिस्मार्क ने जर्मन भाषा को पूरे देश में प्रयुक्त होने वाली एक मात्र भाषा के रूप में घोषित किया जिससे तत्समय जर्मनी में विभिन्न भाषाओं के प्रचलन में होने के बावजूद आज सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भाषा जर्मन ही है। इसी प्रकार से

चीन बहुभाषी देश होने के बावजूद वहाँ की मुख्य भाषा मंदारिन, जापान में जापानी तथा रूस जैसे विविधतापूर्ण देश में भी रूसी भाषा ही सर्वप्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हुई है।

नई शिक्षा नीति में कक्षा 01 से 05 तक शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाये जाने की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है, जिनका परिणाम एक पीढ़ी के बाद सामने आयेगा।

21 वीं शाताब्दी का युग तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आज विश्व में संस्कृत सहित सभी भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित हो रहे है तथा भाषा विज्ञान के नये सिद्वान्त भी तद्नुसार विकसित हो रहें है। इस प्रौद्योगिकी से एक सार्वभौमिक भाषा के जन्म लेने की संभावना भी बनती जा रही है। पूरे विश्व में हिन्दी भाषा बोलने वालों की संख्या 50 करोड़ से अधिक है, जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में विश्व में दूसरे स्थान पर है फिर भी अपने ही देश में हिन्दी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त न होना विचारणीय विषय है, जिस पर नई शिक्षा नीति के भाषायी विश्लेषण में विचार किया गया है।

मैं आशा करता हूँ कि ''**नई शिक्षा नीति का भाषिक संदर्भ और हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य**'' पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में कुछ ऐसे सुझाव सामने आयेंगे जिससे हमारे देश की भाषायी विविधता को बरकरार रखते हुए हिन्दी को अपने देश के साथ–साथ विश्व पटल पर भी वह सम्मान प्राप्त हो सके जिसकी वो हकदार है।

धन्यवाद। जय हिन्द।